क्षेत्रीय कार्यालय—उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 979/NGT-189/OA-274/2022/2024 दिनांक 31.07.2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Response/Status report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to order passed on 30.04.2024 by Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject the response/status report before Hon'ble National Green Tribunal in compliance to order dated 30.04.2024 in OA No-274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors. is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Response/Status report.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

Response/Status report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to order passed on 30.04.2024 by Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors.

Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors. has passed order on dated 30.04.2024 and directed following:-

"…………..4.Respondents are directed to take remedial measures in discharge of their statutory obligations and to file Action Taken Reports regarding action taken further action to be taken by them with specific budgetary allocations and timelines by email within three months at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF……….."

In the compliance of the above aforesaid mentioned order officials from UPPCB conducted survey of Sahibabad Drain, Indirapuri Drain & Banthala Drain. Detailed report is as follows:

A- Sahibabad Drain: -

Sahibabad drain carries untreated domestic effluent of residential areas Bhopura, Gagan Vihar, Shalimar garden, Garima garden, Janakpuri, Pasaunda, rahjendra Nagar Residential area, Village Sahibabad, Village Jhandapur, village Karkar mandan, Village Maharajpur, Chander Nagar, Surya Nagar, Kaushambi & Vaishali etc. and carries treated effluent of industries located in Sahibabad Industrial Area and Rajendra Nagar Industrial Area. Sahibabad drain is partially tapped for treatment near NH-24 in 74MLD STP at Indirapuram before entering in Delhi at Ghazipur. Rest effluent of Sahibabad drain meets in Shahdara Drain and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Presently Sahibabad Industrial area is being used for Industrial, Commercial as well as institutional activities. As per office records, there are 113 water polluting industries situated / operated in the catchment area of the Sahibabad Drain.

Officials of UPPCB collected samples from Sahibabad Drain during the survey in the month 2024. The analysis results of sample collected from Sahibabad drain as shown below:-

S.No	Sampling point	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L	Total coliform MPN/100 ml	Fecal coliform MPN/100 ml
1.	Sahibabad Village Site-4, Sahibabad Ghaziabad	01.07.2024	7.21	Blackish	108.0	296.0	204.0	$47X10^6$	$40X10^6$
2.		10.07.2024	7.34	Blackish	110.0	298.0	206.0	$63X10^6$	$46X10^6$
3.		19.07.2024	7.65	Blackish	115.0	302.0	208.0	$84X10^6$	$63X10^6$

- The above analysis results of the drain's sample collected from various location indicates the characteristics of untreated domestic effluent.

B- Indirapuri Drain and banthla drain

Indirapuri drain carries untreated domestic effluent of residential areas ikram nagar, Dehroti khurd, Balram Nagar, Indirapuri Colony etc and carries treated effluent of industries located in Roop nagar Industrial Area, Shyam Industrial area, Arya Nagar Industrial area and Rural Industrial area. Indirapuri drain meets in Shahdara Drain near Jauharipur and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Banthala drain is mainly carries untreated domestic effluent of residential areas Behta Hajipur, Gulab Vatika and Banthla etc. No industrial estate is located in the catchment of this drain. Banthla drain meets in Shahdara Drain near near Ganga Vihar and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Officials of UPPCB have taken samples from various point of Indirapuri and Banthla Drain during the survey. The analysis results of drains sample collected from various points as shown below:-

Sl. No	Sampling point	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L	Total Coliform MPN/100ml	Fecal Coliform MPN/100ml
1	Indirapuri	01.07.2024	7.33	Turbid	76.0	218.0	192.0	$39X10^5$	$33X10^5$
2		08.07.2024	7.15	Turbid	74.0	220.0	194.0	$26X10^5$	$21X10^5$
3		19.07.2024	7.54	Turbid	72.0	216.0	190.0	$24X10^5$	$21X10^5$
4	Banthala	01.07.2024	7.44	Turbid	58.0	198.0	212.0	$41 X10^4$	$27 X10^4$
5		10.07.2024	7.74	Turbid	52.0	176.0	224.0	$38 X10^4$	$32 X10^4$
6		19.07.2024	7.58	Turbid	56.0	184.0	222.0	$58 X10^4$	$31 X10^4$

- The above analysis results of the drain's sample collected from various location indicates the characteristics of untreated domestic effluent.

C- Action taken: -

The industries situated in the catchment area of these drains are being regularly monitored and accordingly, action is being taken under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 against the non-complying industries. Thus, it is being ensured that industries should discharge their effluent after being properly treated as per the Environmental Norms and actions are also being taken against the defaulting industries. Details of latest action taken are given below:-

Sr. No.	Name & Address	Action Taken
1	M/s Sidra Washing Plot-8, Khasra No. 96/3 Arya Nagar Industrial Area Loni, Ghaziabad.	UPPCB issued closure order on dated 01.01.2024 under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with imposition of Environmental compensation of Rs.11,55,000/-. **(Annexure-I)**
2	M/s. M.A. Garments, Plot No-20/6/21, Site-4 Sahibabad	UPPCB issued closure direction dated 29.05.2024 under section 33A of Water (Prevention and Control

	Industrial Area, Ghaziabad	of Pollution Act. 1974 not to operate without obtaining permission and prosecution is under process. **(Annexure-II)**
3	M/s. Shree Mahaveer Enterprises, Plot No-28/1/15, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	UPPCB revoked Show Cause notice dated 13.03.2024 along with impositions of Environmental compensation Rs.5,25,000/- and prosecution is under process. **(Annexure-III)**
4	M/s Kunwar Singh Jeans Dyeing, Plot No-96/3, Arya Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	UPPCB issued Show cause notice u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 vide letter dated 18.06.2024 and prosecution is under process. **(Annexure-IV)**
5	M/s Suleman Jeans Dyeing (Unit-I), Plot No-96/3, Arya Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	UPPCB issued Show cause notice u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 vide letter dated 18.06.2024 and prosecution is under process. **(Annexure-V)**
6	M/s Suleman Jeans Dyeing (Unit-II), Plot No-96/3, Arya Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	UPPCB issued Show cause notice u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 vide letter dated 18.06.2024 and prosecution is under process. **(Annexure-VI)**
7	M/s Faisal Washing, Plot No-B-23, Roop Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	UPPCB issued Show cause notice u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 vide letter dated 18.06.2024. **(Annexure-VII)**
8	M/s Sujit Sadh Dyeing, B-120, Roop Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	UPPCB issued Show cause notice u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 vide letter dated 18.06.2024 and prosecution is under process. **(Annexure-VIII)**
9	M/s VS Garments, 20/6/10, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	UPPCB revoked Show Cause notice dated 13.05.2024 along with impositions of Environmental compensation Rs.45,000/- and prosecution is under process. **(Annexure-IX)**
10	M/s Nandni Processors, Plot No-4/27, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	UPPCB issued Show cause notice u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 vide letter dated 13.05.2024. **(Annexure-X)**
11	M/s Shri Balaji Processors, Plot No.-1, Rajendra Nagar Industrial Area, Ghaziabad.	UPPCB issued Show cause notice u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 vide letter dated 18.06.2024. **(Annexure-XI)**

12	M/s K.K. Industries, 7/5, Site-4, Sahibabad, Ghaziabad.	UPPCB issued Show cause notice u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 vide letter dated 06.06.2024. **(Annexure-XII)**
13	M/s V.R.S. Foods Ltd. (Unit-1) Plot No. B-56, Site-4, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	UPPCB issued Show cause notice u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 vide letter dated 05.06.2024. **(Annexure-XIII)**

Above report is submitted for your kind perusal and necessary action.

(Navneet Kumar)
Assistant Environmental Engineer
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

(Kunwar Santosh Kumar)
Assistant Environmental Engineer
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

ANNEXURE-I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H05062 /C-1/जल/जी–306/बन्दी आदेश/2023 Date: 01-01-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स सिदरा वाशिंग,
प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद। 9654695146

यह कि मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो कि कच्चे माल के रूप में गारमेन्ट, डाइज, कलर/केमिकल, कास्टिक सोडा आदि का प्रयोग कर डाइंग एवं वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या एच–01872/सी–1/जल/जी–306/ का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। उद्योग इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 19.07.2021 के द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख मात्र) को बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 का संचालन सुचारू रूप से होता हुआ नहीं पाया गया। ई0टी0पी0 में केमिकल डोजिंग प्रक्रिया संचालित नहीं पायी गयी तथा ई0टी0पी0 में टरसरी ट्रीटमेन्ट व्यवस्था यथा सैण्ड फिल्टर तथा एक्टीवेटिड कार्बन फिल्टर संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार समस्त प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है तथा जल सहमति में इंगित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये रू0 11,55,000/– (रू0 ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी हैं।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते हैः–

1. यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

......2/–

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

Mailed 01/01/24

यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना एवं निर्गत निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर रू0 11,55,000/– (रू0 ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि रू0 11,55,000/– (रू0 ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड–UBIN0570150 में 01 माह के अन्दर जमा कराया जाये। उक्त के अतिरिक्त उद्योग द्वारा पूर्व में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख मात्र) को बोर्ड के सम्बन्धित खाते में 15 दिन के अन्दर उपरोक्त खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-II

Ref No. 11637 /C-1/जल/जी–280/2024 Date: 29-5-24

पंजीकृत

मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स,
प्लॉट नं0–ए–9, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद। 9958059689

यह कि मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–ए–9, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अंतर्गत एक कम्पनी है तथा उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थित है।

यह कि उद्योग का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन टीम द्वारा दिनांक 16.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित नहीं (Non Operational) पाया गया। पूर्व में उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र संख्या–एच 96862/सी–1/जल/जी–280/2023, दिनांक 05.07.2023 एवं पत्र संख्या–एच 08715/सी–1/जल/जी–280/2024, दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत **"इकाई को यथावत् बन्द रखा जाये तथा इकाई के संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से अनुमति/सहमति प्राप्त किया जाये"** के निर्देश निर्गत है। अतः उद्योग को पूर्वानुसार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत निम्नवत् निर्देश जारी किए जाते है :–

"इकाई को यथावत् बन्द रखा जाये तथा इकाई के संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से अनुमति/सहमति प्राप्त किया जाये"

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन यथावत् सुनिश्चित रखा जाये। अन्यथा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत नियामानुसार कृत कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं संचालन के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

भवदीय

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग का निरीक्षण कर आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-III

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H08270 /C-1/जी-540/का0ब0नो0-निक्षेप/2024 Date: 13/03/24

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज,
प्लॉट नं0-28/1/14-15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद। 9810120684

विषयः-उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.10.2023 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 01874/ सी-1/जी-540/का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या एवम् संस्तुति दिनांक 29.01.2024 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पत्र संख्या एच 01874/ सी-1/जी-540/का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तों के साथ निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये-5,25,000/-(रू0 पांच लाख पचीस हजार मात्र) को कारण बताओ नोटिस के निक्षेपण तिथि से 01 माह के अन्दर बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड-UBIN0570150 में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस पुनः प्रभावी हो जायेगा।
2. ई0टी0पी0 का प्रस्तावानुसार बायोलोजिकल प्लांट में 01 माह के अन्दर उच्चीकरण करना सुनिश्चित करें।
3. इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु की अनुपालन आख्या नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. इकाई द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू संचालन एवं रख रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
5. ई0टी0पी0 आउटलेट की राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से भुगतान के आधार पर विश्लेषण कराकर आख्या प्रत्येक तिमाही राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. उद्योग के विरूद्ध अन्य प्रकरणों पर आधारित प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
8. टैक्सटाइल चार्टर के अनुपालन के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 35390/सी-7/नोडल टैक्सटाइल-102/19 दिनांक 01.05.2019 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुये आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522 2720764
e.mail : info@uppcb.com) website: www

ANNEXURE-IV

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/12547 /C-1/सामान्य–1795/का0ब0नो0/2024 **Date:** 18.6.24

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स कुंवर सिंह जीन्स डाइंग,
96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
जनपद–गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स कुंवर सिंह जीन्स डाइंग, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, जनपद–गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Dyeing and Washing of Jeans के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित विभिन्न वादों में जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद गाजियाबाद में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.03.2024 को मैसर्स कुंवर सिंह जीन्स डाइंग, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, जनपद–गाजियाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। उद्योग में डाइंग एवं वाशिंग की प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान जनित उत्प्रवाह को सीधे औद्योगिक नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। उक्त औद्योगिक नाला इन्द्रापुरी ड्रेन में मिलता है। इन्द्रापुरी ड्रेन अन्ततः यमुना नदी में मिलता है। उद्योग से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के कारण यमुना नदी की ज गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के दौरान इकाई से निस्तारित हो रहे अन्तिम उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला मे विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा अधिक है। उद्योग राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये संचालित है, जो कि जल एवं वायु अधिनियमों में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उद्योग मैसर्स कुंवर सिंह जीन्स डाइंग, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, जनपद–गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स कुंवर सिंह जीन्स डाइंग, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, जनपद–गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स कुंवर सिंह जीन्स डाइंग, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, जनपद–गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?

.......2/

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com) website www.uppcb.com

2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स कुंवर सिंह जीन्स डाइंग, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, जनपद–गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स कुंवर सिंह जीन्स डाइंग, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, जनपद–गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर EC=PIxNxRxSxLF =80x1x250x0.5x1.5=15,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नक–क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

ANNEXURE-V

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H12594 /C-1/सामान्य–1791/का0ब0नो0/2024 Date: 18-6-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–1,
96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–1, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Dyeing and Washing of Jeans के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित विभिन्न वादों में जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद गाजियाबाद में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.03.2024 को मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–1, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। उद्योग में डाइंग एवं वाशिंग की प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान जनित उत्प्रवाह को सीधे औद्योगिक नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। उक्त औद्योगिक नाला इन्द्रापुरी ड्रेन में मिलता है। इन्द्रापुरी ड्रेन अन्ततः यमुना नदी में मिलता है। उद्योग से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के कारण यमुना नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के दौरान इकाई से निस्तारित हो रहे अन्तिम उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला मे विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा अधिक है। उद्योग राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये संचालित है, जो कि जल एवं वायु अधिनियमों में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–1, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–1, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–1, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?

........2/–

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax 0522-2720764
e mail info@uppcb.com| website www.uppcb.com

2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट-1, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट-1, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर EC=PIxNxRxSxLF =80x1x250x0.5x1.5=15,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नक-क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

ANNEXURE-VI

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 412595 /C-1/सामान्य–1793/का०ब०नो०/2024 Date: 18-6-24

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–2,
96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–2, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Dyeing and Washing of Jeans के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित विभिन्न वादों में जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद गाजियाबाद में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.03.2024 को मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–2, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। उद्योग में डाइंग एवं वाशिंग की प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान जनित उत्प्रवाह को सीधे औद्योगिक नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। उक्त औद्योगिक नाला इन्द्रापुरी ड्रेन में मिलता है। इन्द्रापुरी ड्रेन अन्ततः यमुना नदी में मिलता है। उद्योग से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के कारण यमुना नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के दौरान इकाई से निस्तारित हो रहे अन्तिम उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला मे विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा अधिक है। उद्योग राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये संचालित है, जो कि जल एवं वायु अधिनियमों में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–2, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–2, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–2, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?

2 –

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स 0522-2720764
ई–मेल info@uppcb.com) website www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax 0522 2720764
e mail info@uppcb.com) website www.uppcb.com

2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–2, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स सुलेमान जीन्स डाइंग, यूनिट–2, 96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर EC=PIxNxRxSxLF =80x1x250x0.5x1.5=15,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नक–क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

ANNEXURE-VII

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H12593 /C-1/सामान्य–1792/का०ब०नो०/2024 Date: 14.6.24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स फैजल वाशिंग,
प्लॉट संख्या बी–23, रूप नगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स फैजल वाशिंग, प्लॉट संख्या बी–23, रूप नगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Dyeing and Washing of Jeans के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित विभिन्न वादों में जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद गाजियाबाद में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.03.2024 को मैसर्स फैजल वाशिंग, प्लॉट संख्या बी–23, रूप नगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। उद्योग में डाइंग एवं वाशिंग की प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था (ई०टी०पी०) स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान जनित उत्प्रवाह को सीधे औद्योगिक नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। उक्त औद्योगिक नाला इन्द्रापुरी ड्रेन में मिलता है। इन्द्रापुरी ड्रेन अन्ततः यमुना नदी में मिलता है। उद्योग से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के कारण यमुना नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के दौरान इकाई से निस्तारित हो रहे अन्तिम उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला मे विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा अधिक है। उद्योग राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये संचालित है, जो कि जल एवं वायु अधिनियमों में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उद्योग मैसर्स फैजल वाशिंग, प्लॉट संख्या बी–23, रूप नगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स फैजल वाशिंग, प्लॉट संख्या बी–23, रूप नगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स फैजल वाशिंग, प्लॉट संख्या बी–23, रूप नगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?

......2/

टी०सी०–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax 0522-2720764
e.mail info@uppcb.com| website www.uppcb.com

2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स फैजल वाशिंग, प्लॉट संख्या बी–23, रूप नगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स फैजल वाशिंग, प्लॉट संख्या बी–23, रूप नगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर EC=PlxNxRxSxLF =80x1x250x0.5x1.5=15,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नक–क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

ANNEXURE-VIII

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 4/12596 /C-1/सामान्य–1794/का0ब0नो0/2024 Date: 18-6-24

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स सुजीत साद डाइंग,
प्लॉट संख्या बी–120, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स सुजीत साद डाइंग, प्लॉट संख्या बी–120, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Dyeing and Washing of Jeans के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित विभिन्न वादों में जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद गाजियाबाद में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.03.2024 को मैसर्स सुजीत साद डाइंग, प्लॉट संख्या बी–120, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। उद्योग में डाइंग एवं वाशिंग की प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान जनित उत्प्रवाह को सीधे औद्योगिक नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। उक्त औद्योगिक नाला इन्द्रापुरी ड्रेन में मिलता है। इन्द्रापुरी ड्रेन अन्ततः यमुना नदी में मिलता है। उद्योग से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के कारण यमुना नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उद्योग राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये संचालित है, जो कि जल एवं वायु अधिनियमों में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उद्योग मैसर्स सुजीत साद डाइंग, प्लॉट संख्या बी–120, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स सुजीत साद डाइंग, प्लॉट संख्या बी–120, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स सुजीत साद डाइंग, प्लॉट संख्या बी–120, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?

.........2/–

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

[redacted]

2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स सुजीत साद डाइंग, प्लॉट संख्या बी–120, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स सुजीत साद डाइंग, प्लॉट संख्या बी–120, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर EC=PIxNxRxSxLF =80x1x250x0.5x1.5=15,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।
उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नक–क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ANNEXURE-IX
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H14702/C-1/जल/जी–182/का0ब0नो0–निक्षेप/2024 Date 25.07.24

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स वी0एस0 गारमेन्ट,
प्लॉट नं0–20/6/10, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।
मो0नं0–9313779928

विषयः–उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2024 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक बोर्ड के पत्रांक एच 10713/सी–1/जी–182/का0ब0नो0/2024 दिनांक 13.05.2024 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या एवम् संस्तुति दिनांक 28.06.2024 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उद्योग के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के साथ निस्तारित किया जाता है:–

1. भविष्य में इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।
2. भविष्य में उद्योग द्वारा संचालन के उपरान्त ई0टी0पी0 आउटलेट के नमूने का विश्लेषण एवं स्टैक मॉनीटरिंग रिपोर्ट राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से भुगतान पद्धति के आधार पर कराकर आख्या एक माह के अन्तर्गत बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. उद्योग पर रू0 45000/– (रू0 पैंतालिस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के payment gateway (URL:https:// erp.eshiksa.net /DirectFeesv3/ UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में कारण बताओ नोटिस के निस्तारण की तिथि से 01 माह की अवधि में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें–

1-Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति–	Water Pollution
2-Regional Office/क्षेत्रीय कार्यालय–	Ghaziabad
3-EC imposed in compliance/अनुपालन में ई0सी0 लगाया गया	UPPCB

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुये आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

Upload dt 26.07.2024

ANNEXURE-X

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-H10712 /C-1/जी–456/का0ब0नो0/2024 Date: 13-5-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स नन्दिनी प्रोसेसर्स,
प्लॉट नं0–4/27, साईट–4,
साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद।
मो0नं0–9810047458।

यह कि उद्योग मैसर्स नन्दिनी प्रोसेसर्स, प्लॉट नं0–4/27, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा कच्चे माल के रूप में फैब्रिक, डाइज, कलर/केमिकल आदि का प्रयोग कर डाइंग एवं वाशिंग का कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति के माध्यम से दिनांक 09.08.2023 को निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में उद्योग द्वारा स्थापित ई0टी0पी0 का रखरखाव समुचित रूप से न किये जाने एवं ई0टी0पी0 आउटलेट से एकत्रित शोधित उत्प्रवाह के प्रचालकों में टी0डी0एस0 की मात्रा 2228 मि0ग्रा0 प्रति लीटर पाया गया जोकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्धारित मानक क्रमशः टी0डी0एस0 की मात्रा 2100 मि0ग्रा0 प्रति लीटर के अनुरूप नही है। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 की लॉगबूक भी मेंटेन नहीं पाई गई। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में उद्योग के सम्बन्ध में नॉन–कम्प्लाईग की टिप्पणी की गई है।

यह कि उद्योग मैसर्स नन्दिनी प्रोसेसर्स, प्लॉट नं0–4/27, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव के दृष्टिगत जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स नन्दिनी प्रोसेसर्स, प्लॉट नं0–4/27, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स नन्दिनी प्रोसेसर्स, प्लॉट नं0–4/27, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स नन्दिनी प्रोसेसर्स, प्लॉट नं0–4/27, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

..........2/–

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

Upload

Mailed 13/5/24

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स नन्दिनी प्रोसेसर्स, प्लॉट नं0–4/27, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर रू0 15000/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। जिसका सूत्र निम्नवत् है–

EC=PIxNxRxSxL=80x1x250x0.5x1.5=15000/- प्रति दिन।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नकः–सी0पी0सी0बी0 से प्राप्त निरीक्षण आख्या मय विश्लेषण आख्या की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 412584/C-1/सा0–1802/पर्या0क्षति0–का0ब0नो0/2024 Date: 18-6-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स श्री बालाजी प्रोसेसर्स,
प्लॉट नं0–1, राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद। 9811984090

विषयः–एस0टी0पी0 के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas के पत्रांक 16014/14/2021/ MERD/IP/Closure/6478-82 Dated 05.04.2024 (Closure Direction No.-586/IP) द्वारा निर्गत बन्दी आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त बन्दी आदेश के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित अपनी आख्या दिनांक 24.05.2024 के माध्यम से इकाई द्वारा किये गये औद्योगिक प्रदूषण गतिविधि के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के आधार पर दिनांक 27.03.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक 18 डिफाल्टर दिवस हेतु (सूत्र EC=PlxNxRxSxLF के अनुसार EC=80x18x250x0.5x1.5)= रू0 2,70,000/–(रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। साथ ही इकाई बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पायी गयी। इकाई द्वारा सी0ए0क्यू0एम0 के बन्दी निर्देश पत्र दिनांक 05.04.2024 के अनुपालन मे अनुपालन आख्या दिनांक 18.04.2024 प्रेषित की गयी, जिसका सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.05.2024 को किया गया। उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से सी0टी0ओ0 प्राप्त किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग मैसर्स श्री बालाजी प्रोसेसर्स, प्लॉट नं0–1, राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध रू0 2,70,000/–(रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। प्रेषित आख्या एवं संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाईड लाईन के आधार पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के उपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

"यह कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर उद्योग मैसर्स श्री बालाजी प्रोसेसर्स, प्लॉट नं0–1, राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध रू0 2,70,000/–(रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये?"

उपरोक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके इकाई के विरूद्ध रू0 2,70,000/–(रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

संलग्नक–क्षेत्रीय अधिकारी से प्राप्त आख्या दिनांक 24.05.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

भवदीय,

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764

ANNEXURE-XII

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/12034 /C-1/जल/जी–502/का0ब0नो0/2024 Date: 6-6-24

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स के0के0 इण्डस्ट्रीज,
7/5, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स के0के0 इण्डस्ट्रीज, 7/5, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Dyeing and Washing of Readymade Garments के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मैसर्स के0के0 इण्डस्ट्रीज, 7/5, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान एकत्रित किये गये पी0ई0टी0पी0 आउटलेट की विश्लेषण आख्या के अनुसार पी0एच0–9.2, सी0ओ0डी0–452 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0–136 मिग्रा0/ली0, टी0एस0एस0–110 मिग्रा0/ली0 तथा टी0डी0एस0–4848 मिग्रा0/ली0 पाया गया, जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। समिति द्वारा अपनी आख्या में Non Complying की टिप्पणी की गयी है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग द्वारा लॉगबुक मेनटेन नहीं किया जा रहा है। उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 58170/सी–1/जल/जी–339/2020 दिनांक 29.01.2021, पत्र संख्या एच 75174/सी–1/ जल/ जी–502/2022 दिनांक 05.05.2022, पत्र संख्या एच 76590/सी–1/जल/जी–502/2022 दिनांक 03.06.2022 एवं पत्र संख्या एच 99626/सी–1/जल/जी–502/2023 दिनांक 21.08.2023 द्वारा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत **"इकाई को यथावत बन्द रखे जाने तथा इकाई के संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से अनुमति/सहमति प्राप्त किये जाने के निर्देश निर्गत हैं"** तत्पश्चात निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन नही किया जा रहा है।यह कि उद्योग मैसर्स के0के0 इण्डस्ट्रीज, 7/5, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स के0के0 इण्डस्ट्रीज, 7/5, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स के0के0 इण्डस्ट्रीज, 7/5, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद को बोर्ड द्वारा इकाई के संचालन हेतु प्रदत्त सहमति को रिवोक कर दिया जाये?

........2/–

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

Upload

Mailed 06/06/24

2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स के0के0 इण्डस्ट्रीज, 7/5, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?

3. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स के0के0 इण्डस्ट्रीज, 7/5, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स के0के0 इण्डस्ट्रीज, 7/5, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर EC=PIxNxRxSxLF =80x1x250x0.5x1.5=15,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नक-केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपिः-
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

ANNEXURE-XIII

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-H/1934 /C-1/जल/जी–103/का0ब0नो0/2024 Date: 5-6-24

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट–1),
प्लॉट नं0–बी–56, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट–1), प्लॉट नं0–बी–56, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Milk Processing के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट–1), प्लॉट नं0–बी–56, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.07.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान एकत्रित किये गये ई0टी0पी0 आउटलेट की विश्लेषण आख्या के अनुसार नमूने में बी0ओ0डी0–31 मिग्रा0/ली0 पाया गया, जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। समिति द्वारा अपनी आख्या में Non Complying की टिप्पणी की गयी है। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन नही किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट–1), प्लॉट नं0–बी–56, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट–1), प्लॉट नं0–बी–56, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट–1), प्लॉट नं0–बी–56, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद को बोर्ड द्वारा इकाई के संचालन हेतु प्रदत्त सहमति को रिवोक कर दिया जाये?
2. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट–1), प्लॉट नं0–बी–56, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?

.........2/–

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

Mailed 05/06/2024

Upload

–2–

3. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट–1), प्लॉट नं0–बी–56, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट–1), प्लॉट नं0–बी–56, साईट–4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर EC=PIxNxRxSxLF=80x1x250x0.5x1.5=15,000/- प्रतिदिन की दर से अथवा ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.06.2023 (जो भी अधिक हो) के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उक्त के अतिरिक्त उद्योग द्वारा बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 02.12.2022 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 17,00,000/–(रू0 सत्तरह लाख मात्र) को तत्काल बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नक–केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1